न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 180/2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018/00218)

1. चुन्नीलाल पुत्र श्री वैलीराम (मृतक) जरिये वारिसान
   1/1 मदनलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल, जाति जाट, उम्र 60 साल, (दौराने अपील मृतक)
   1/1/1 विनोद कुमार पुत्र स्व. मदनलाल
   1/1/2 रोहित कुमार पुत्र स्व0 मदनलाल
   1/2 बचनलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल, जाति जाट, उम्र 54 साल,
   1/3 कुलवीर (बलवीर) पुत्र श्री चुन्नीलाल जाट, उम्र 52 साल,
   1/4 कैलाश पुत्री श्री चुन्नीलाल, जाति जाट, उम्र 63 साल,
   1/5 रानी पुत्री श्री चुन्नीलाल, जाति जाट, उम्र 56 साल, निवासीयान ग्राम मढां, तहसील तिजारा, जिला अलवर

—अपीलान्टस

बनाम

1. प्रकाशो देवी पुत्री श्री वैलीराम, जाति जाट, उम्र करीब 75 साल, निवासी ग्राम मढां, तहसील तिजारा, जिला अलवर –

—असल रेस्पोडेन्ट

2. धन्नो देवी पुत्री श्री वैलीराम, जाति जाट (मृतक)
   2/1 तिलकराज पुत्र धन्नो देवी, उम्र करीब 65 साल,
   2/2 दयावन्ती पुत्री धन्नो देवी, उम्र करीब 62 साल,
   2/3 चिम्मनलाल पुत्र धन्नो देवी, उम्र करीब 69 साल, अपह
   2/4 लाजवन्ती पुत्री धन्नो देवी, उम्र करीब 56 साल,
   2/5 पुष्पा देवी पुत्री धन्नो देवी, उम्र करीब 50 साल,
   2/6 रोशनलाल पुत्र धन्नो देवी, उम्र करीब 45 साल, जाति जाट, निवासीयान ग्राम मढां, तहसील तिजारा, जिला अलवर

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा न्यायालय तहसीलदार साहब तिजारा दिनांक 23.05.2018 प्रकरण संख्या 39/17 बाबत प्रकरण नामन्तकरण संख्या 454 वाके ग्राम मढां, तहसील तिजारा, जिला अलवर असल रेस्पोडेन्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम बहिस्से बराबर बराबर स्वीकार किये जाने का आदेश बेजा व खिलाफ कानूनन सादिर फरमाया गया । वास्ते निरस्त फरमाये जाने उक्त आज्ञा व अन्य अनुतोष ।

उपस्थित–

1. श्री सत्यनारायण शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री महावीर प्रसाद करवा, रेस्पो. नं. 1, 2/1 से 2/6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –21.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार तिजारा (अलवर) के निर्णय दिनांक 23.05.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री वैलीराम पुत्र श्री गुरन्ताराम, जाति जाट निवासी ग्राम मंढा, तहसील तिजारा का स्वर्गवास हो जाने पर इन्तकाल संख्या 454 ग्राम पंचायत द्वारा उसके एक मात्र पुत्र चुन्नीलाल के नाम पर दर्ज व तस्दीक किया गया था। उक्त इन्तकाल के खिलाफ असल रेस्पोडेन्ट प्रकाशो देवी ने एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो निर्णय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 11.04.2017 के तहत तहसीलदार तिजारा को रिमाण्ड करते हुये यह निर्देश दिया गया कि उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका दिया जाकर विवादित इन्तकाल का निस्तारण विधिवत तौर पर किया जावे। इस पर तहसीलदार तिजारा ने रिमाण्ड आदेश की पालना में अपने आदेश दिनांक 23.05.2018 के तहत विवादित इन्तकाल अपीलान्ट व असल रेस्पोडेन्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम बहिस्से बराबर बराबर तस्दीक किये जाने का आदेश दिनांक 23.05.2018 पारित किये गये।

3. तहसीलदार तिजारा जिला अलवर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स चुन्नीलाल पुत्र वैलीराम (मृतक) जरिये वारिसान वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार तिजारा जिला अलवर दिनांक 23.05.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि श्री वैलीराम पुत्र श्री गुरन्ताराम, जाति जाट, निवासी ग्राम मढां, तहसील तिजारा का स्वर्गवास गत काफी समय पूर्व हो गया था। जिसका इन्तकाल विरासत संख्या 454 ग्राम पंचायत द्वारा उसके एक मात्र पुत्र चुन्नीलाल के नाम पर दर्ज व तस्दीक किया गया था । उक्त इन्तकाल के खिलाफ असल रेस्पोडेन्ट प्रकाशो देवी ने एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 11.04.2017 के तहत तहसीलदार तिजारा को रिमाण्ड करते हुए यह निर्देश दिया गया कि उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका दिया जाकर विवादित इन्तकाल का निस्तारण विधिवत तौर पर किया जावे। इस पर साहब तहसीलदार तिजारा ने रिमॉण्ड आदेश की पालना में अपने आदेश दिनांक 23.05.2018 के तहत विवादित इन्तकाल अपीलान्ट व असल रेस्पोडेन्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम बहिस्से बराबर बराबर तस्दीक किये जाने का आदेश दिनांक 23.05.2018 को सादिर फरमाया है जिसके खिलाफ यह अपील पेश है । अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक श्री वैलीराम का इन्तकाल विरासत उसकी पुत्रियों के नाम बहिस्से बराबर बराबर तस्दीक किये जाने का आदेश बेजा तौर पर सादिर फरमाया है, क्योकि उक्त श्री वैलीराम का स्वर्गवास सन् 1984 में हो गया था, जिसका इन्तकाल विरासत ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 24.10.1986 को उसके एक मात्र पुत्र चुन्नीलाल के नाम सही प्रकार से तस्दीक किये जाने का आदेश सादिर फरमाया गया था। उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6(2005 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित) में यह माना गया है कि सन् 2005 से पूर्व में किसी भी पिता की मृत्यु के कारण उनकी पुत्रियों को जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होता है। इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर 2016 (2) आर. एल.डब्ल्यू. पृष्ठ 1337 पेश की गई थी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि सन् 2005 से पूर्व पिता के मृतक होने पर पिता की अचल सम्पत्तियों में पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय की उक्त नजीर के बावजूद भी मृतक श्री वैलीराम का इन्तकाल उसके पुत्र व दोनों पुत्रियाँ प्रकाशो देवी व धन्नो देवी के नाम बहिस्से बराबर बराबर तस्दीक किये जाने का आदेश गलत तौर पर सादिर फरमाया है। पत्रावली पर यह भी साबित पाया जाता है कि चुन्नीलाल के नाम पिता का इन्तकाल विरासत तस्दीक किये जाने के बाद मृतक श्री चुन्नीलाल ने पिता से विरासत में प्राप्त समस्त आराजी को भिन्न भिन्न लोगों को बेचान कर दी और जिनके दस्तावेजात भी केतागण के हक में निष्पादन व पंजीयन किये जाकर कब्जा भी मौके पर क्रेतागण को दिया जा चुका है। इन हालात में विवादित आराजी में क्रेतागण के हित निहित है, और न्यायहित में उनको तलब किया जाना व उनको सुना जाना आवश्यक था । किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.05.2018 के तहत मृतक श्री वैलीराम का इन्तकाल विरासत उसके पुत्र व पुत्रियों का नाम बहिस्से बराबर बराबर तस्दीक किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाने में अहम कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्य एवं विधि विरूद्ध होने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार तिजारा जिला अलवर दिनांक 23.05.2018 निरस्त किया जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि श्री वैलीराम पुत्र श्री गुरन्ताराम, जाति जाट निवासी ग्राम मंढा, तहसील तिजारा का स्वर्गवास हो जाने पर इन्तकाल संख्या 454 ग्राम पंचायत द्वारा उसके एक मात्र पुत्र चुन्नीलाल के नाम पर दर्ज व तस्दीक किया गया था। उक्त इन्तकाल के खिलाफ असल रेस्पोडेन्ट प्रकाशों देवी ने एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 11.04.2017 के तहत तहसीलदार तिजारा को रिमाण्ड करते हुये यह निर्देश दिया गया कि उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका दिया जाकर विवादित इन्तकाल का निस्तारण विधिवत तौर पर किया जावे। पटवारी हल्का से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मंढा के नामान्तकरण सं0 454 मृतक बेलीराम के वारिसानों चुन्नीलाल पुत्र व धन्नोंदेवी, प्रकाशों देवी पुत्रीयान बेलीराम के नाम तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया। इन्तकाल अकेले चुन्नीलाल पुत्र बेलीराम जाट सा० मंढा के नाम विरासत का सर्व सम्मती से स्वीकार किया गया है मृतक के वारिसानों को जांच हेतु वाके ग्राम मंढा मजमें आम पहुंच कर जांच की गई मृतक बेलीराम पुत्र गुरता के वारिसानों में चुन्नीलाल पुत्र मृतक जिसके वरिसान मदनलाल, बचनलाल, बलवीर पुत्रान व कैलाश, रानी पुत्रीयान चुन्नीलाल, शीला देवी पत्नि चुन्नीलाल पूर्व में फौत होना बताया गया । धन्नो देवी (मृतक पुत्री) प्रकाशों देवी पुत्री कुल तीन वारिस बताये गये। इनमें चुन्नीलाल मृतक पुत्र, धन्नोदेवी मृतक पुत्री पाये गये। प्रकाशों देवी हाल में जीवित है। इन वारिसों के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि बेलीराम जाट निवासी मंढा थे जिसका देहान्त हो गया और मृतक बेलीराम की विरासत का नामा० सं0 454 वाके ग्राम मंढा पटवारी हल्का द्वारा नियमानुसार जांच कर उसे असल वारिसान रेस्पोडेन्ट, अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट तीनों बहन भाईयों के हक में दर्ज कर दिया तथा इन्तकाल वास्ते स्वीकृति ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य इन्तकाल को असल रेस्पोडेन्ट से साजबाज होकर तन्हा उसके हक में स्वीकार किया। मृतक बेलीराम के प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी दोनों पुत्रीयां वारिसान है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक पिता की विरासत बहन भाईयों को बहिस्सा बराबर प्राप्त होती है। अतः नामान्तकरण सं0 454 ग्राम मंढा बेलीराम की विरासत में हमारा नाम सम्मिलित किया जावें । अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा बहस में बताया कि प्रार्थी द्वारा अपील में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी मृतक बेलीराम की विधिक वारिस है तथा उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा–6 (2005 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित) का हवाला देते हुए निवेदन किया कि 9 दिसम्बर 2005 को जीवित सह दायिको की जीवित पुत्रीयों पर संशोधन के तहत अपने माता/पिता की सम्पत्ति में अधिकार है, इससे पूर्व नही। जबकि बेलीराम मृतक का देहान्त 2005 से काफी पूर्व हो चुका हैं। उन्होने अपने कथन की पुष्टि में बपजंजपवद, 2016 (2) तऱ्ई, 1337 मा0 उच्चतम न्यायालय पेश की तथा प्रकरण खारिज करने हेतु निवेदन किया । तहसीलदार तिजारा ने र्ष पर पहुचंते है कि मा० न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.17 अपील संख्या 11 / 2009 अनुवान प्रकाशों देवी बनाम चुन्नीलाल में अधिनस्थ ग्राम पंचायत गहनकर द्वारा नामा० सं0 454 वाके ग्राम मंढा पर पारित आदेश दिनांक 24.10.86 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को रिमान्ड किया गया है कि मा० उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.10. 15 को निर्णित सिविल अपील सं0 7217 उनवान प्रकाश व अन्य बनाम फूलवती को दृष्टिगत रखते हुए मृतक बेलीराम के विधिक वरिसान की जांच कर पुनः नामा० निर्णित करें। तहसीलदार तिजारा ने रिमाण्ड आदेश की पालना में अपने आदेश दिनांक 23.05.2018 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 में पुत्रीयों का पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार है। एंव रिपोर्ट पटवारी हल्का मुताबिक मृतक बेलीराम पुत्र गुरता के अपीलान्ट, रेस्पोन्डेन्ट तरतीबी रेस्पोडेन्ट

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जायज वारिस है । अतः आदेश है कि विरासत नामान्तकरण संख्या 454 वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा अपीलान्ट व असल रेस्पोन्डेन्ट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम बाहिस्सा बराबर विरासत नामान्तकरण स्वीकार किये जाने आदेश दिये गये हैं। तहसीलदार तिजारा जिला अलवर ने जो निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद मृतक बेलीराम पुत्र गुरता की विरासत को लेकर है। बेलीराम का देहान्त हो जाने पर ग्राम मंढा के नामान्तकरण संख्या 454 मृतक बेलीराम के वारिसानों चुन्नीलाल पुत्र व धन्नों देवी, प्रकाशों देवी पुत्रीयान बेलीराम के नाम तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया। ग्राम पंचायत गहनकर द्वारा इन्तकाल अकेले चुन्नीलाल पुत्र बेलीराम जाट सा0 मंढा के नाम विरासत का सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी बेलीराम की खातेदारी की भूमि थी। विवादित भूमि का बेलीराम निर्विवाद खातेदार था तथा रामप्रताप की मृत्यु के उपरान्त उक्त नामान्तरकरण मृतक बेलीराम के पुत्र चुन्नीलाल के नाम ही खोला गया। मृतक बेलीराम के वारिसानों में चुन्नीलाल पुत्र व धन्नों देवी, प्रकाशों देवी पुत्रीयान बेलीराम थी। इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त विवादित भूमि बेलीराम की पैतृक भूमि थी। इस संबंध मे हमारा विनम्र मत है कि उक्त विवादित भूमि बेलीराम के विधिक वारिसान चुन्नीलाल पुत्र व धन्नो देवी, व प्रका ाो देवी पुत्रीयान बेलीराम के नाम बाहिस्सा बराबर विरासत नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना चाहिये। जहॉ तक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने का प्रश्न है इस संबंध में यह स्वीकृत स्थिति है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में पुत्रीयों का पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिजारा जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिजारा जिला अलवर का निर्णय दिनांक 23.05.2018 यथावत रखा जाता है।

(डॉ.आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।